

प्रेषक,

किशन सिंह अटोरिया,
प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बरेली।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक: 13 फरवरी, 2014

विषय: जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम गोमिदपुर में रामगंगा नदी के कटान एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के पुर्णवास हेतु ग्राम खमूनगला तहसील फरीदपुर में स्थित 0.750 हेक्टेएक्ट भूमि क्रय हेतु धनराशि उपलब्ध कराया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-551/मु0रा0ले0-दै0आ0सहा0(2012-13), दिनांक 22-08-2013 के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है जनपद बरेली की तहसील फरीदपुर के ग्राम गोमिदपुर में रामगंगा नदी के कटान एवं बाढ़ से प्रभावित व्यक्तियों के पुर्णवास हेतु ग्राम खमूनगला तहसील फरीदपुर में स्थित 0.750 हेक्टेएक्ट भूमि के नियमानुसार क्रय हेतु आवश्यक कुल धनराशि ₹ 8,25,000/- (रुपये आठ लाख पच्चीस हजार मात्र) निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिवर्णों के अधीन आपके निवर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय समस्त औपचारिकताओं की पूर्ति करते हुये नियमानुसार किया जायेगा तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी शासन को शीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा तथा यदि कोई धनराशि अवशेष बचती है, तो कोषागार में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी विभागीय कार्य हेतु कदापि न किया जाय। जिस कार्य हेतु धनराशि स्वीकृत की जा रही है, उसका उपयोग उसी मद में किया जायेगा।

3. तीव्र बाढ़ में बह जाने वाले ग्रामों के विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्स्थापित किये जाने हेतु भूमि का क्रय सुसंगत नियमों/शासनादेशों के अनुसार करते हुए भूमि का निःशुल्क आवंटन

- कराये जाने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या- 2010/1-10-2012-33(37)/12-टी.सी.-1, दिनांक 31 जुलाई, 2012 में उल्लिखित व्यवस्था/दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
4. उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या- 42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जाये।
5. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मर्दों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय के आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।
6. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "4250-अन्य समाज सेवाओं पर पूँजीगत परिव्यय-आयोजनागत-101-प्राकृतिक आपदायें-08-प्रदेश में विस्थापितों के पुनर्वास हेतु भूमि क्रय-24-वृहत निर्माण कार्य" के नामे डाला जायेगा।
7. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय पंजी संख्या-ई-5-2056/दस-2013, दिनांक 10 दिसम्बर, 2013 में उनकी सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

भवदीय,



(किशन सिंह अटोरिया)

प्रमुख सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या- 3122

(1)/1-10-2013, तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, ३०प्र० इलाहाबाद।
- 2- आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, ३०प्र० लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी० योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट एचटीटीपी//राहत, य००१०.एनआई०सी०इन पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, ३०प्र०।
- 6- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी बरेली।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण अनुभाग-5
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा)/समीक्षा अधिकारी, राजस्व अनुभाग-10/राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव, राजस्व विभाग, ३०प्र० शासन।
- 10- गार्ड फाइल।

आजी ११/११/१७

/अधिकारी